

प्रेषक,

गौरव वर्मा,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उप महानिरीक्षक, वन,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज, जोरबाग,  
नई दिल्ली-110003

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2**

**लखनऊ, दिनांक 18 जून, 2020**

**विषय:-**जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग में मै० जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे० आरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफ-8-07/2019-एफसी, दिनांक 18.05.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग के पत्रांक-3143, दिनांक 12.06.2020 द्वारा, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर, के पत्रांक-5414 दिनांक 13.06.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-2174/11-सी-एफपी/यूपी/IND/23246/2016 दिनांक 14.06.2020 द्वारा आख्या/अभिलेख उपलब्ध करायी गई है, आख्या निम्नवत है :-

आपत्ति	आख्या
1	2
<p>I. The detailed chronology of the events which are vital to decide the issues pertaining to violation of FCA, 1980.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>उ०प्र० सरकार द्वारा वर्ष 1954 में चुर्क व डाला सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गयी थी।</li> <li>जनपद-सोनभद्र (जो पूर्व में मिर्जापुर जिले का भाग था) के ओबरा वन प्रभाग के ग्राम-कोटा (डाला) में राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन को हस्तान्तरित कर दिया गया।</li> <li>जनपद-सोनभद्र (पूर्व में मिर्जापुर) के परगना-अगोरी में जमीन्दारी 1 जुलाई 1953 को टूटी और उस समय जो किसी की भूमिधारी थी तथा जो मौके पर खेती होती थी व आबादी को छोड़कर शेष भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई और चूँकि परगना-अगोरी में जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 117(1) की विज्ञप्ति नहीं हुई थी, इसलिये राज्य सरकार ने शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर 1953/16 नवम्बर 1953 द्वारा कैमूर पर्वत के दक्षिण (जहाँ ग्राम-कोटा, पडरछ व पनारी पडता है) में स्थित समस्त भूमि को प्रबन्ध के लिये वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया।</li> <li>उ०प्र० शासन द्वारा वर्ष 1977-78 में ग्राम-कोटा, वर्ष 1969 में ग्राम-पनारी (ओबरा पनारी) तथा वर्ष 1970 में ग्राम-पडरछ में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 की विज्ञप्ति हुयी।</li> </ul>

- वर्ष 1982 में वनवासी सेवा आश्रम के संस्थापक श्री प्रेम भाई ने मा0 उच्चतम् न्यायालय में 1061/1982 में एक जनहित याचिका दाखिल किया, जिसमें मा0 न्यायालय ने दिनांक 20.11.1986 को कैमूर पर्वत माला के दक्षिण भूमि क्षेत्रों के भौमिक अधिकार एवं सर्वे सेटिलमेंट करने का आदेश पारित किया।
- मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में ग्राम-कोटा, पडरछ, व पनारी की काफी भूमि सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में अपीलीय न्यायालय (अपर जिला जज) द्वारा भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी भारतीय वन अधिनियम की विज्ञप्ति को सही मानते हुये, सुरक्षित वन के पक्ष में निर्णीत की गई। जिसके आधार पर तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा सुरक्षित वन के पक्ष में निर्णीत भूमि को सुरक्षित वन के खाते में दर्ज किया। जिसके क्रम में ग्राम-कोटा व पनारी की भूमि के सम्बन्ध में भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 की कार्यवाही चल रही थी।
- उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित कर उसे दिनांक-08.12.99 को Wound Up कर लिक्विडेशन के अधीन कर दिया गया तथा आफिसियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया।
- उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन डाला की फैक्ट्री के Wound Up होकर उसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए कम्पनी कोर्ट लिक्विडेशन के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई।
- उ0प्र0रा0सीमेन्ट कारपोरेशन के परिसमापन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों के क्रेता को दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राज्य औद्योगिक विकास अनुभाग-1, द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0-3623/77-1-2008-15 (बी.आई.एफ.आर.)/92 दिनांक-10.10.2006 को मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रस्तर 9, जो कम्पनी के पक्ष में लाइमस्टोन के पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में था, उसमें वन क्षेत्र में पडने वाले लीज के क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्न तथ्य अंकित किये गये थे :-

“यह उल्लेखनीय है कि यदि भूमि वन में अवस्थित है, उसके क्रेता को नवीनीकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्रस्ताव आने पर सक्षम स्तरों से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर वांछित शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यदि भूमि सैक्चुररी में अवस्थित है उसके गैरवानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम् न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर दी जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि जो हिस्से वन भूमि में पडते हैं कि उनको नवीनीकरण भारत सरकार की पूर्व अनुमति से तथा वांछित शुल्क के भुगतान के पश्चात ही सम्भव है। अतः यथा समय अधिनियम के तहत एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जानी होगी। यह उल्लेख भी समाचीन है कि राज्य सरकार की ओर से पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय छूट का उल्लेख नहीं है। इस प्रकरण में भू-तत्व एवं खनिकर्म

विभाग एवं तत्पश्चात कुछ प्रकरणों में वनविभाग द्वारा अग्रोतर कार्यवाही की जायेगी।

उ०प्र०राज्य सीमेन्ट निगम लि० (परिसमापनाधीन) की इकाईयों के विक्रय से सम्बन्धित अनुतोष एवं रियायतों में आच्छादित भूमि में से जो भूमि वन में अवस्थित है उनके क्रेता फर्म के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में देय राशि के भुगतान के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।”

- उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर मा० उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट ने दिनांक-11-10-06/12-10-06 को जे०पी० एसोसिएट्स के पक्ष में विक्रय की पुष्टि कर दिया।

मा० उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-1, द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ज्ञापन सं-3623/77-1-2008-15 (बी.आई.एफ. आर)/92 दिनांक-10.10.2006 पर मा० उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक-11-10-06 के परिपेक्ष्य में जे०पी०एसोसिएट्स को लीज के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये था, जिसे नये सिरे से लीज हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र मानकर उस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 व मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा टी०एन० गोडावर्मन बनाम भारत सरकार की याचिका में पारित निर्णय दिनांक-12-12-96 के अनुसार कार्यवाही की जाती किन्तु जे०पी० एसोसिएट्स द्वारा लीज के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र न देकर उ०प्र०रा० सीमेन्ट कारपोरेशन की लीज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली व मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे की कार्यवाही में ग्राम-कोटा, पडरछ व पनारी, मारकुण्डी व मकरीबारी की कुल 1083.203हे० सुरक्षित वन के पक्ष में निर्णीत भूमि को वन संरक्षण अधिनियम की **Applicability** को समाप्त करने तथा लीज लेने में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली आवश्यक देयताओं को बचाने के उद्देश्य से सुरक्षित वन के प्रस्ताव से पृथक कराने के सम्बन्ध में जे०पी० एसोसिएट्स, लि० द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र के न्यायालय में ग्राम-कोटा में वाद संख्या 180/353/2007 द्वारा 27.854हे०, वाद संख्या 181/354/2007 द्वारा 210.056हे०, वाद संख्या 386/388/2007 द्वारा 18.272हे०, ग्राम कोटा पडरछ में वाद संख्या 395/397/2007 द्वारा 221.955हे० व 51.064हे०, ग्राम पनारी में वाद संख्या 386/398/2007 द्वारा 70.012हे०, ग्राम-मारकुण्डी में वाद संख्या 398/400/2007 द्वारा 253.176हे० तथा ग्राम-मकरीबारी में वाद संख्या 399/401/2007 द्वारा 230.844हे० अर्थात् कुल 1083.203हे० क्षेत्र पर वर्ष 2007 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 9/11 के तहत वन भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर दिया गया। कुल 1083.203हे० क्षेत्र में से ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा, ओबरा पनारी व पडरछ में कुल 599.183हे०, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में कुल 230.844हे० तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के ग्राम-मारकुण्डी में कुल 253.176हे० क्षेत्र सम्मिलित है।

- मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-20.11.1986 के क्रम में उपरोक्त कुल 1083.203हे० क्षेत्र में से सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम-मकरीबारी का 230.844हे० छोड़कर शेष क्षेत्र के सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा पूर्व में (वर्ष 1993-94 व वर्ष 1998-99) ही वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका था, जिसकी पुष्टि अपर जिला जज द्वारा की गयी।
- परन्तु जे०पी० एसोसिएट्स लि० की तरफ से जनवरी 2007 में कुल 1083.203हे० क्षेत्र के सम्बन्ध में पुनः नये सिरे से मा० एफ०एस०ओ० न्यायालय में

धारा-9/11 के अन्तर्गत प्रस्तुत उपरोक्त वादों में वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को धारा 4 की विज्ञापित से पृथक करने का आदेश पारित किया गया। जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया था।

- वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 180/353 व 181/354 में परित निर्णय दिनांक-19.09.2007 तथा मा0 जिला जज सोनभद्र द्वारा सिविल मिसलिनियस अपील संख्या 61/2007 व 63/2007 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 बनाम वन विभाग में पारित निर्णय दिनांक-07.01.2008 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया गया।
- उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-3792/14-2-2008 दिनांक-12.09.2008 से जिला शासकीय अधिवक्ता व न्याय विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के अनुमति नहीं दी गयी तथा जनपद-सोनभद्र में धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञापित जारी किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन को 02 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- उ0प्र0 शासन के उक्त निर्देश के क्रम में वर्ष 2008 में जे0पी0 एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा-4 की विज्ञापित से पृथक किये गये क्षेत्रों को छोड़कर विज्ञापित संख्या-4952/14-2-2008-20(17)/2008 दिनांक-25.11.2008 से ग्राम-कोटा तथा विज्ञापित संख्या-4953/14-2-2008-20(17)/2008 दिनांक-25.11.2008 से ग्राम-ओबरा पनारी तथा विज्ञापित संख्या-4951/14-2-2008-20(16)/2008 दिनांक-25.11.2008 से ग्राम मकरीबारी का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 20 की विज्ञापित जारी किया गया।
- जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अनाधिकृत रूप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्ति द्वारा सी0ई0सी0 में शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सी0ई0सी0 द्वारा सम्बन्धित पक्षों से रिपोर्ट/आख्या मांगी गयी। पक्षों द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करने के उपरान्त सी0ई0सी0 द्वारा अपनी संस्तुति मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट संख्या-2469/2009 दाखिल की गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जिसके क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 नं0 1166/2015 में दिनांक-04.05.2016 को जे0पी0एसोसिएट्स लि0 से सम्बन्धित कुल 1083.203 हे0 (जिसमें से ओबरा वन प्रभाग का 599.183हे0 है) क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।
- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-04.05.2016 के अनुपालन में ग्राम-कोटा, ओबरा पनारी के सम्बन्ध में पूर्व में जारी धारा 20 की विज्ञापित को निष्प्रभावी मानते हुये कुल 1083.203हे0 क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा में विज्ञापित संख्या-1142/14-2-2016-20(4)/2016 दिनांक-23.06.2016 द्वारा कुल 12440.413हे0, ग्राम ओबरा पनारी में विज्ञापित संख्या-1141/14-2-2016-20(3)/2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 1912.751हे0, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में विज्ञापित संख्या-1139/14-2-2016-20(1)/2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल

	<p>398.5570हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभागी मीरजापुर के ग्राम मरकुण्डी में विज्ञप्ति संख्या-1192/14-2-2016- 20 (5)/2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 904.768हे0 क्षेत्र का पुनः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-30.05.2016 के अनुपाल में मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0, डाला द्वारा जे0पी0 सुपर प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके कम में प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है।</li> </ul>
<p>II. Issue of violation of Forest (Conservation) Act, 1980 noted in Site Inspection Report of the Regional Office, MoEF&amp;CC, Lucknow.</p>	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के पत्र संख्या-8-07/2019-एफ0सी0 दिनांक-25.03.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में श्री के0के0 तिवारी, उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय) द्वारा दिनांक-16.04.2019 को प्रश्नगत क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया तथा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-एफ0नं0-8ए/यू0पी0/09/1177/2019/एफ0सी0/206 दिनांक 24.05.2019 द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-</p> <p><u>Page - 2</u></p> <p><b>Building and other infrastructure:</b> The Cement plant exists at the site measuring 95.070 hectare (including connecting road to State Highway no. 5 and Green belt area) which is reported to be constructed during 2007. In addition 20.804 hectare of the land is under township and ancillaries comprising 1326 Residential quarters, hospital, guest house, electric substation, Play Ground, Schools and other structures. The present proposal seeks diversion of 95.070+20.804=115.874 hectare of Forest land, as mentioned above. Concrete Pillars have been erected around forest land proposed for diversion. A High tension line passes through proposed Forest Area.</p> <p><u>Page - 5 / 6</u></p> <p><b>Dalla Cement Complex was developed by erstwhile U.P. Cement Corporation Ltd. (UPSCCL) since the year 1972. The complex comprises of Cement manufacturing Unit, limestone mines, residential colony, other infrastructure facilities etc. M/s Jaiprakash Associates Limited acquired the assets of UPSCCL in competitive bidding under supervision of Hon'ble High Court Judicature Allahabad. Subsequently JP Super Cement Plant ( A Unit of Jaiprakash Associates Limited) was established in the land which was earlier in possession of UPSCCL ( In Liquidation) and where crusher and ancillary units were in operation.</b></p> <p><u>Page - 8 (Point 8)</u></p> <p><b>Violation of Forest (Conservation) Act, 1980:-</b> The exclusion of Forest land in question from purview of Section 4 and Section 20 of Indian Forest Act by State authorities and construction of JP Super Cement plant in the year 2007 without obtaining permission under FC Act is in violation of the provisions of Conservation Act, 1980. Development of Township on a forest land was done in the year 1976 i.e. prior to enactment of Forest Conservation Act, 1980. Though the Cement plant is not in operation but existence of residential quarters of company's employees and continued use of other infrastructures without Forest Clearance is also in violation of FC Act. The above violations have taken place prior to submission of application/proposal of forest diversion which needs examination in the light of recent guidelines of the Ministry regarding violations of FC Act issued vide Letter no.11-42-2017(FC)</p>

	<p>dated 29-01-2019.</p> <p>श्री के०के० तिवारी, उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय) के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 115.874हे० भूमि में से 20.804हे० क्षेत्र में वर्ष 1976 में (वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व) निर्माण कार्य किया गया है परन्तु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बाद किया गया है। शेष 95.070हे० भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपरान्त नया निर्माण कराया गया है। जिसके सम्बन्ध में मे० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अपने पत्र दिनांक-29.05.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र न्यायिक प्रक्रिया से (एफ०एस०ओ०/डी०जे० न्यायालय द्वारा) धारा 4 से पृथक होकर, राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि दर्ज होने के बाद, मे० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा किया गया है। जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र संख्या-11-42/2017-FC दिनांक-29.01.2018 में वर्णित तथ्य-“Activities which constitutes violations of provisions of Forest Conservation Act 1980 and rules made thereof and guidelines issued in this behalf, by user agencies and quantum of penalty to be imposed – regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under FC Act 1980”.</p> <p>उक्त गाइड लाईन में FCA 1980 के उल्लंघन निम्न प्रकार वर्णित किया है-  “3. Accordingly, the Ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendations of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purposes in violation of the provision of the Forest (Conservation) Act 1980, Rules made thereof and guidelines issued from time to time to implement FC Act and Rules:  E. In cases where ‘Forest land’ has been changed to ‘non forest land’ in government records: If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed.”</p>
<p>III. The detailed clarification on responsibility with regard to the unauthorized use of forest land.</p>	<p>वर्ष 2007 में मे० जे०पी० एसोसिएट्स लि० के क्लेम के आधार पर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा अपने न्यायालय में नये सिरे से वादों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक कर दिया गया था, जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा सम्बन्धित भूमि का उपयोग धारा 4 से पृथक किये जाने के उपरान्त ही किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.05.2016 को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलदरामद कराते हुए, धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया।</p>
<p>IV. Details of action initiated by the State Government in compliance of the order issued by the Hon'ble NGT in this matter.</p>	<p>मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-04.05.2016 के अनुपालन में ग्राम-कोटा, ओबरा पनारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी धारा 20 की विज्ञप्ति को निष्प्रभावी मानते हुये कुल 1083.203हे० क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा में विज्ञप्ति संख्या-1142/14-2-2016-20(4)/2016 दिनांक-23.06.2016 द्वारा कुल 12440.413हे०, ग्राम ओबरा पनारी में विज्ञप्ति संख्या-1141/14-2-2016-20(3)/2016 दिनांक- 10.06.2016 द्वारा कुल 1912.751हे०, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में विज्ञप्ति संख्या-1139/14-2-2016- 20(1)/2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 398.5570हे० तथा कैमूर वन्य जीव प्रभागीय मीरजापुर के ग्राम मरकुण्डी में विज्ञप्ति संख्या-1192/14-2-2016- 20 (5)/2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 904.768हे० क्षेत्र का पुनः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया।</p>
<p>V. Issues pertaining to DSS analysis.</p>	<p>भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या-एफ०नं० 8/07/2019-एफ०सी० दिनांक-25.03.2019 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध</p>

	<p>करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति लगायी गयी थी:-  (III) Out of total 115.874 Ha area, as provided by the state Government for Compensatory Afforestation land, after analysis through DSS, it is found that the approximately 26 ha. of CA land is falling in water bodies. Thus, an Additional CA area of 26 ha may be provided.</p> <p>जिसके क्रम में 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष अतिरिक्त सी0ए0 वृक्षारोपण हेतु डाला रेंज के परासपानी कं0नं0 3 में 26हे0 क्षेत्र चयनित कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र, जियोरिफरेन्सड मानचित्र तथा सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट प्रेषित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक-23.04.2020 को भारत सरकार के कार्यालय में आहूत बैठक में अवगत कराया गया है कि उक्त 26हे0 क्षेत्र जो अतिरिक्त सी0ए0 वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है, उस क्षेत्र का DSS analysis करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रश्नत क्षेत्र पर पहले से ही पेड़ पौधे मौजूद हैं। तत्क्रम में प्रश्नगत क्षेत्र का पुनः मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त 26हे0 क्षेत्र में कहीं-कहीं पर छोटे-छोटे घास-फूस, झाड़ी किस्म के पौधे हैं, जिसमें वृक्षारोपण किया जा सकता है। अतः प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष अतिरिक्त सी0ए0 वृक्षारोपण हेतु डाला रेंज के परासपानी कं0नं0 3 में 26हे0 क्षेत्र पूर्व में चयनित किया गया वह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, क्षेत्र का फोटोग्राफ संलग्न है।</p>
<p>VI. The relevant copies of the orders of Hon'ble Court with regard to present proposal.</p>	<p>वर्ष 2007 में जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 के क्लेम के आधार पर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा अपने न्यायलय में नये सिरे से वादों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र को धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक कर दिया गया था, से सम्बन्धित निर्णय की प्रति तथा मा0 एन0जी0टी0 के का आदेश दिनांक-04.05.2016 व 30.05.2016 की प्रति संलग्न है।</p>

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोक्त।**

**भवदीय,**

(गौरव वर्मा)

विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. यूजर एजेन्सी।
3. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

(गौरव वर्मा)

विशेष सचिव।